राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

शुक्रवार :
दिनांक 16 फरवरी, 1973

विधान सभा की बैठक म.प. 5.12 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रदर्शनकारी अध्यापकों पर विधान सभा भवन के समक्ष पुलिस द्वारा लाठी चार्ज सम्बन्धी घटना पर विचार

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट। कुछ औपचारिक बातें··

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय इस विधान सभा के द्वार पर अभी जो अध्यापकों·

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, मैं निवेदन कर रहा था··

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यापकों पर लाठी-चार्ज हुआ है··

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था मैं निवेदन करने का अधिकार रखता हूं।··

श्री लक्ष्मणसिंह : आप अवश्य अधिकार रखते हैं··

श्री अध्यक्ष : आप उसे स्वीकार करें या न करें।

श्री लक्ष्मणसिंह : विरोधी पक्ष की उग्र भावना का, मैं आशा करता हूं, आदर करेंगे और आप समय देंगे हमें अपने विचार व्यक्त करने का··

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष की भावना का आदर हमेशा किया है और करता रहूंगा।

कुछ औपचारिक कार्य हैं.··

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना गंभीर है, हम गंभीरता के साथ··

श्री अध्यक्ष : मैं प्रार्थना इतनी करूंगा कि कुछ औपचारिक बातें हैं, सदन की मेज पर रखने का काम है··

श्री गुमानमल लोढा : आप सदन का कार्यक्रम शुरू करें, यह बड़ी गम्भीरता के साथ चाहते थे कि सदन का कार्य गंभीरता के साथ हो··

श्री अध्यक्ष : आपसे आशा है, आप गम्भीरता के साथ सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने दें।

श्री गुमानमल लोढा : लेकिन मैं उससे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने शिक्षा मंत्री से कहा कि लाठी चार्ज हो रहा है शिक्षकों पर, बड़ी निर्ममता के साथ उन पर अत्याचार हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। हमारी केवल यह प्रार्थना है कि आप उनसे मिलें। हम यह चाहते हैं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उन्होंने कहा कि मैं पांच साल के बाद मिलूंगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि विधान सभा के सामने, शिक्षकों का खून बहे जो राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं, उन पर लाठी चार्ज हो और शिक्षा मंत्री यह कहें कि मैं पांच साल बाद मिलूंगा। यह अशोभनीय बात है। शिक्षा मंत्री का शिक्षकों से सम्बन्ध और सम्पर्क रहता है उनके विभाग के शिक्षक लोगों पर निर्ममता के साथ अत्याचार हो रहा है, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तब आप यह कर कर उन पर नमक छिड़क रहे हैं कि पांच साल के बाद मिलूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सदन मे इस विषय पर विचार किया जाय, माननीय मुख्य मंत्री के सामने शिक्षकों की समस्याओं को लायें। शिक्षकों की ऐसी समस्या है जो दलगत या राजनैतिक नहीं है, उन समस्याओं पर हम अपने विचार व्यक्त करें। यह समस्यायें ऐसी हैं जिनसे जीवन मरण का प्रश्न जुड़ा हुआ है।

अभी जो लाठी चार्ज हुआ, मैंने बाहर पचासों लोग ऐसे देखे जिनके हाथ, पैर और सिर से खून बह रहा है। आज यहां पर राज्यपाल महोदय जिस समय शिक्षकों की महिमा और गरिमा की बात कह रहे थे उस समय बाहर शिक्षकों पर लाठी चार्ज हो रहा था। अगर पुलिस अधिकारी थोड़ा संयम रखते तो ऐसी घटना नहीं होती। उनके शिष्ट मण्डल को बुलाया जा सकता था, उनसे बात की जा सकती थी और उनकी समस्या हल हो सकती थी। मैं प्रार्थना करूंगा, इस विषय पर विचार किया जाय। शिक्षकों का खून आज इस प्रकार बहाया गया है कि मैंने कई रूमाल खून से सने विधान सभा के बाहर देखे। वह रूमाल आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस प्रकार से . . .।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, आपने पर्याप्त कह दिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लाठी बरसायी गई हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार किया जाय। मेरा शिक्षा मंत्रीजी से करबद्ध निवेदन है कि वह शिक्षकों के साथ इस प्रकार निरंकुशता के साथ पेश नहीं आयें, उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं पांच साल के बाद मिलूंगा। पांच साल बाद नहीं, उनको अभी मिलना चाहिए। शिक्षक लोग शांति के साथ मिलना चाहते हैं, उनको उनसे घबराना नहीं चाहिए और उनसे बात करके उनकी समस्याओं पर विचार करना चाहिए और उनकी समस्याओं का निष्कर्ष निकालना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा जो अत्याचार हो रहा है, हम उस पर विचार करें कि इस प्रकार अत्याचार क्यों किया जा रहा है और क्यों लाठी बाहर चलाई जा रही है? सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हो, उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रार्थना पर आप ध्यान दें।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई करबद्ध निवेदन सरकार से नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा कि आज सदन पर कोई जुलूस आता है, उन लोगों का जो ज्ञापन है वह संवैधानिक रूप से शांतिमय तरीके से पेश करना चाहते हैं, वह कोई उखाड़ पछाड़ नहीं करना चाहते

Page No 3

(3)

(श्री लक्ष्मण सिंह)

तो सरकार को उनका ज्ञापन लेना चाहिए पहले भी, अध्यक्ष महोदय, जब यहां नशाबन्दी आन्दोलन चल रहा था उस समय जितने जुलूस आये उसके अलावा जितने भी जुलूस आये और जितनी बार भी आये उतनी बार मंत्रियों ने संवैधानिक रूप से उनके शिष्ट मंडल से मुलाकात की और मिलने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करने के कदम की और तरह तरह की बातें की, आश्वासन दिये। यह क्या उखाड़-पछाड़ कर रहे थे कि लाठी बरसाई जाय। यह सरकार, मेरे खयाल में, अश्रु गैस और लाठी का प्रयोग किये बिना, बिल्कुल शांति के साथ काम करने को तैयार नहीं रहती है। यह बड़े खेद की बात है, आज सदन के पहले दिन "प्रथम ग्रासे मक्षिका पात:" इस प्रकार की घटना हो, यह मेरे खयाल में सरकार के लिए लज्जाजनक बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय।....

श्री अध्यक्ष : एक दो मिनिट का..

श्री **लक्ष्मण सिंह** : मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि शिक्षा विभाग में अध्यापक आते हैं तो आपको उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए शांति के रूप से व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज विधान सभा के पहले दिन यह अशोभनीय घटना हुई है यह बहुत बुरी बात है। मैं जानकारी करके आया हूं, मुझे यह बतलाया गया कि शिक्षक लोग डेपूटेशन के रूप में मिलना चाहते थे, काफी देर इन्तजार किया डेपूटेशन के रूप में मिलने के लिए लेकिन किसी को बुलाया नहीं गया, जिसकी वजह से यह घटना हुई। मैं चाहूंगा सरकार की ओर से इस बात का उत्तर दिया जाय। मिलने के लिए नहीं बुलाया गया, इस कारण इस तरह की घटना हुई है तो यह अच्छा नहीं है। पुलिस के लोग काफी तादाद में थे, मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि जनसमूह इतना बड़ा नहीं था कि पुलिस के लोगों से रुक नहीं सके। लोगों को विधान सभा के अन्दर आने दिया जाय इस बात को मैं नहीं कहता लेकिन उनको रोका जा सकता था, ऐसा मेरा अनुमान है।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) मैं दो मिनिट बोल देता तो मैं समझता हूं कि सारी चीज क्लीयर हो जाती।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी भावनायें सुनने के बाद मुख्य मन्त्री अपना उत्तर दें, हम उत्तर सुनने के लिए तैयार बैठे हैं।

मेरा निवेदन है, जब राज्यपाल महोदय अध्यापकों के सम्बन्ध में मीठी मीठी बातें कह रहे थे उस समय अध्यापकों पर, सरस्वती के मन्दिर में हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की हड्डियां तोड़कर

Page No 4

(27)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
उनके सिर फोड़कर यह सरकार राज्य करना चाहे, और उन पर लाठी बरसाये यह अशोभनीय घटना है। मैं समझता हूं कि जितने भी लोग सरकार के सामने पेश करने के लिए मेमोरेण्डम लेकर आये, ज्ञापन लेकर आये, और विषय लेकर आये, उनको सरकार शांति के साथ सुने, बजाय उनके ऊपर लाठी बरसा कर खून बहाने के। मैं समझता हूं, यह कमजोरी की बात है। मंत्री वहां जायं और जाकर उनकी बात सुने, उनसे ज्ञापन लें। इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमन्त्री डरते हैं, अपने लोगों से मिलने से वह डरते हैं। जब वह उदयपुर गये तो उनसे मिलने के लिये कुछ लोग गये लेकिन मुख्य मन्त्री उनसे मिलने बाहर नहीं आये और अनावश्यक रूप से लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां करके डण्डे बरसा कर मुख्य मन्त्री राज्य करना चाहते हैं...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। इस बारे में पहले भी रूलिंग दी जा चुकी है...

श्री **विट्ठल भाई** (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग आते हैं...

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप सुनिये। अध्यापकों के साथ जो ऐसा व्यवहार हुआ है...

श्री **विट्ठल भाई**: जो भी आते है उनके ऊपर लाठी और गोली चलाई जाती है।

श्री **राजेन्द्र कुमार भारतीया** : सुनने के लिये पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती।

श्री **विट्ठल भाई** : आप लाठी और गोली के बल पर जनता को दबा नहीं सकते.....

श्री **मनोहर लाल** (कामां) : शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें।

श्री **अध्यक्ष** : आप तशरीफ रखिये। (श्री विट्ठल भाई से) आप बैठिये।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट का समय चाहूंगा, यह

श्री **अध्यक्ष** : आप तशरीफ रखिये।

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : लाठियों का प्रहार और अश्रु गैस के गोले गिराये, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, इसलिए मुझे बोलने का अधिकार है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा आज जिस प्रकार विधान सभा के बाहर शिक्षक लोगों पर लाठी चार्ज किया गया, वह भी उस समय जिस समय राज्यपाल महोदय शिक्षा और शिक्षकों का नाम लेकर वाहवाही की बात कह रहे थे, उस समय शिक्षकों पर भयंकर लाठियों का प्रहार करना और अश्रु गैस के गोले छोड़ना और उन पर घोड़े दौड़ाना एक अशोभनीय घटना है। आप वहां चल कर देखें, एक तरफ उनका पीछा माणक चौक चौपड़ तक किया गया और दूसरी तरफ राम प्रकाश सिनेमा तक किया गया। मैं निवेदन करना चाहता

Page No 5

(5)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हूं एक तो शिक्षकों पर लाठियों का प्रहार किया गया, दूसरी ओर जो राजस्थान के हलवाई अपनी वाजिब मांगों को लेकर आये वह बिक्री कर प्रणाली को लेकर बहुत दुखी हैं...

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हलवाइयों ने हड़ताल कर रखी है और उनकी मांग सरकार ने नहीं मानी और जब प्रदर्शनकारी बाहर आए तो दोनों प्रदर्शनों पर इस प्रकार निर्मम लाठी प्रहार किया। जो जयपुर नगर के निवासी हैं, उन्होंने गोलीकांड देखा होगा जो मार्च, 1967 में हुआ था। उसी प्रकार का दृश्य आज था। गोली चलाने में सिर्फ कमी रही। सरकार इस प्रकार लाठी चार्ज कराए, घोड़ों को दौड़ाए, इसलिए मैं मंत्रियों से और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस समय वे बाहर जायं तो देखें कि किस प्रकार प्रथम दिन मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में, मेरे हवा महल निर्वाचन क्षेत्र में, विधान सभा के सामने इस प्रकार का अशोभनीय दृश्य है। इसलिए सरकार को इसके लिए जांच समिति बिठानी चाहिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए और राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने कहा कि मैं 5 साल बाद मिलूंगा, उनको त्यागपत्र देना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इस प्रकार सरकार चलने वाली नहीं है। अध्यादेश तो बाद में भी हो जायेंगे। अध्यक्षजी, विधान सत्र दो महीने चलने वाला है। आज प्रथम दिन है। दो महीने तक यदि इस प्रकार शिक्षकों पर, हलवाइयों पर लाठी प्रहार करेंगे तो लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। इसलिए निवेदन करता हूं कि अध्यादेशों के लेने से पूर्व सारी बातों पर और शिक्षा मंत्री और जिस मंत्री का हलवाइयों से सम्बन्ध है, वे त्याग-पत्र दें और उनके शिष्ट-मंडल से मिलें।

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य कहते हैं कि क्योंकि हवा महल मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी है इसलिए मुझे बोलने का अधिकार है। इसका मतलब यहां तो रोज प्रदर्शन आयेंगे और आप रोजाना बोलेंगे ?

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : (खून से भरे रूमाल दिखाते हुए) : अगर अत्याचार हुआ तो रोजाना बोलेंगे।

(शोरगुल)

श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष जी, हमने हाउस में डेकोरम रखा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जबसे शिक्षा मंत्री का पोर्टफोलियो श्री चंदनमल वैद को दिया, वह इसको ठीक तरह से हैंडिल नहीं कर पाये हैं। जो कुछ हुआ शिक्षा के लिए अनबिकमिंग आन हिज पार्ट है। पिछले तीन दिनों से टीचर रिप्रेजन्टेटिव्ज की डिमांड चल रही है, इन प्रिन्सीपल कुछ बातें मानी गई। आज डेप्यूटेशन के रूप में वे आपसे मिलना चाहते थे, आप उन पर लाठी चार्ज करके समस्या का हल करना चाहें, मैं इसको

(6)

(श्री केदार नाथ)
बहुत कन्डेम करता हूं इस एक्शन को और विश्वास करता हूं कि मुख्य मंत्री इसकी जांच करेंगे और शिक्षकों की मांगों की जांच करेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : मैं कुछ गलत फहमियां दूर कर दूंगा अगर, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो। 14 तारीख को शिक्षा मंत्रीजी और हमारे अध्यापक बन्धु मिले और काफी समय तक बातचीत के अन्दर शिक्षा कमिश्नर भी मौजूद थे और दूसरे लोग भी मौजूद थे। पहला भ्रम कि उन्होंने अध्यापकों से मिलने से इन्कार किया, यह सही नहीं है। दूसरा आज जब मुझसे दोपहर में बात हुई तो मैंने कलेक्टर के द्वारा कहलवाया कि गवर्नर की एड्रेस के बाद मैं आपसे मिलूंगा। और गवर्नर एड्रेस के फौरन बाद मैं उनसे जा कर मिला। तो जहां तक मिलने का सम्बन्ध है, हम बराबर मिलते रहे हैं लेकिन इस सदन की कुछ परम्परायें रही हैं। जुलूस का स्वागत करने नहीं जाते और न जुलूस को एन्करेज करने जाते हैं लेकिन जुलूस के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करने में न कभी हिचकिचाहट की, न आज की, न इससे पहले की। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में आपस में बैठकर बातचीत से मामला तय होता है और आज यह बहस करना कि लाठी के द्वारा सरकार चलाना चाहते हैं, इसका जवाब इलेक्टोरेट दे चुका है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : इलेक्टोरेट के नशे में न रहना (अश्रव्य)

यह नशा उतर जाएगा...

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल (कामां) : चुनाव लड़ कर देख लो।

कुछ कांग्रेसी सदस्य : आकर देखो।

विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य : आयेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आ जाइए वापस चुनाव लड़िए। शिक्षकों की बात चल रही है, फिर चुनाव की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मानवीय प्रश्न को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए।

(शोरगुल)

श्री बरकतुल्ला खां : (अश्रव्य) खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : (खून से भरा रूमाल दिखाते हुए): क्या यह संविधान के अन्तर्गत है ?

श्री अध्यक्ष : आप यह रूमाल इनको दे दीजिये।

(श्री गुमानमल लोढ़ा ने रूमाल मुख्य मंत्री के आगे जाकर रखा)

श्री मनोहरलाल : आप चुनाव लड़कर देखें।

श्री बरकतुल्ला खां : हक लाठी के जोर पर नहीं है, वोट के जोर पर है।

श्री मनोहरलाल : भरतपुर की सीट खाली करो और चुनाव लड़ लो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम चुनाव लड़ेंगे, तैयार हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस बात को चुनाव के साथ न जोड़ा जाए।

श्री बरकतुल्ला खां : टीचर्स के कुछ लोग आए थे, उनको शक्ल से नहीं पहचानता हूं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि ईंट और पत्थर फेंकने में हमारा हाथ नहीं था लेकिन दूसरे लोगों का था..

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपके लोगों का था। पुलिस के लोग थे। झूंठा इलजाम लगा रहे है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आसन ग्रहण करें।

(श्री मनोहरलाल और मुख्य मंत्री साथ साथ बोलने लगे)

श्री मनोहरलाल : मुख्य मन्त्री किसी से नहीं मिलते हैं। और चुनाव की बात करते हैं..

(श्री मनोहरलाल द्वारा बहिर्गमन)

श्री बरकतुल्ला खां : भागो मत।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं मुख्य मंत्री आपको जोधपुर के लिए चुनौती देता हूं। आप चुनाव लड़ लें।

श्री बरकतुल्ला खां : राजस्थान की पुलिस अपने ऊपर पाबंदी लगाती आई है और जिम्मेवारी के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज किया है और हमारे पड़ोस के अन्दर अनेक प्रान्तों में गोलियां चली हैं, लेकिन हमारी पुलिस ने अपने आपको रोका है। पुलिस के कितने लोग जख्मी हुए हैं, उनकी लिस्ट भी दे दूंगा। पुलिस ने, जो इस घटना में डिसिप्लेन रखा है उसके लिए मैं पुलिस वालों को बधाई देता हूं और पुलिस के धैर्य की सराहना करता हूं..

एक माननीय सदस्य : पुलिस ने जो काम किये हैं वह तो जस्टिस बेरी की रिपोर्ट से पता चल जायेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से पूरे भारतवर्ष के अन्दर कई जगहों पर आन्दोलन हुए हैं वहां पर पुलिस ने जो काम किये हैं उनको देखते हुए हमारे प्रदेश की पुलिसने जो डिसिप्लेन रखा है और जिस डिसिप्लेन के साथ बिहेव किया है..

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस ने शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया है उन सभी को माफ किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, बनाये रखने का काम गवर्नमेंट का है, अपोजीशन का काम है और प्रदेश के लोगों का काम भी है।

(8)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप फरमाइये आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, आज जो घटना घटी है उसके लिये मेरे दो प्रश्न है पहला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण था वह तूल में पड़ गया। उसके लिए आज कुछ उग्रता इधर वालों की तरफ से और कुछ उग्रता मुख्य मन्त्री की तरफ से दिखायी गई कि जिनसे कि शालीनता अपेक्षित है। इस सदन की क्या नीति है उसके बारे में मैं नहीं पड़ कर सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कुछ हुआ उसके लिये पुलिस के डिसिप्लेन के लिये बधाई देने का नहीं है। वह तो पुलिस के खिलाफ जांच करने का प्रश्न है। जहां तक पुलिस को बधाई देने का सवाल है वह तो पुलिस की डिमाण्ड्स के दिन बधाई दे सकते हैं और इस प्रकार के मौके आगे और भी आ सकते हैं जब मुख्य मन्त्री पुलिस को बधाई दे सकते हैं। लेकिन आज शिक्षकों पर जो अत्याचार पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के रूप में किया गया है यह सब विद इन दी जुरिसडिक्शन आफ दी एसेम्बली हाउस हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एसेम्बली हाउस के नीचे जहां पर कि नयी बिल्डिग बनी हुई है और एसेम्बली भवन के नीचे बीचों बीच शिक्षकों का खून बहाया गया है। इट इज इन दी प्रिमिसेस आफ एसेम्बली फ्लोर दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जो इस घटना के लिए इस सदन के सदस्यों को जो बोलने की इजाजत दी जिस पर कि सभी माननीय सदस्य बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई इजाजत नहीं दी। सभी बगैर इजाजत ही बोले हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुख्य मन्त्री भी बिना इजाजत बोले हैं, और भी माननीय सदस्य बोले हैं। मैं समझता हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके बारे में जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जो हां रखा है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : खैर मैं निवेदन कर रहा था कि इस विवाद में तो मैं नहीं पड़ना चाहता क्योंकि यहां पर उसके लिये काफी बहस हो चुकी है। इस स्थगन की वजह से या आज जो घटना हुई है उस घटना की उग्रता की वजह से मैं इसके लिए इतना ही निवेदन करूंगा इस सारे प्रश्न पर मुख्य मन्त्री द्वारा कल तक एक स्टेटमेंट दिला दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की मांग के बारे में, शिक्षकों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उन सभी के बारे में इस हाउस में विचार किया जाय।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आपके बजाय मैं ही कुछ कहूं तो अच्छा रहेगा। पाइन्ट आफ आर्डर चल रहा है। आपको पोइन्ट आफ आर्डर में बोलना जरूरी नहीं है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, अभी आचार्यजी ने मुख्य मन्त्री के बारे में उग्रता शब्द का प्रयोग किया है उसको हाउस की प्रोसिडिंग्ज में से एक्सपन्ज किया जाना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर आपको मुख्य मन्त्री के बारे में उग्रता शब्द का प्रयोग करने से नाराजी है तो मैं उग्रता शब्द को वापिस लेता हूं। लेकिन मुख्य मन्त्रीजी को एक बात निवेदन करूंगा कि वह श्री भारतीया को उप मन्त्री बनादें तो सभी ठीक हो जायेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : अगर आप कहते हैं तो बनाने को तैयार हूं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या कहा आपने मुकर्रर इरशाद, फिर से कहिये ।

श्री बरकतुल्ला खां : मुशायरा नहीं वरना फिर से कह देता। विधान सभा है बाहर चल कर कह दूंगा। आपकी और हमारी तो पुरानी दोस्ती है।

श्री अध्यक्ष : अभी माननीय सदस्य, जो कि मावली से आये हैं उन्होंने एक पोइन्ट आफ आर्डर रखा है कि विधान सभा के जुरिसडिक्शन में इसी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो पुलिस द्वारा कार्यवाही की गयी उसके लिए पुलिस वालों के खिलाफ जांच की जानी चाहिये और इसके अलावा मुख्य मन्त्रीजी से जो आज घटना हुई है उसके लिये एक स्टेटमेंट दिलाया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं आज इस वक्त सभी माननीय सदस्यों ने काफी गम्भीरता से काम लिया और हाउस की कार्यवाही बड़े उमदा ढंग से चल रही है। इस सम्बन्ध में मैं आपकी बढ़ती हुई भावनाओं को नजरन्दाज भी नहीं कर सकता कि आपने सदन में काफी शान्ति बनाये रखी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डेढ़ घन्टे तक शान्ति से बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को अर्ज करना चाहता हूं कि जिस दिन गवर्नर साहब का भाषण होता है तो अपने यहां की ऐसी परम्परायें रही हैं कि उस दिन ऐसा कोई वाद-विवाद नहीं रखते हैं। ऐसी परम्परायें और भी सभी जगह हैं। आज भूल से कहिये या और किसी कारण से कहिये कि आज की लिस्ट आफ बिजनेस में कुछ कन्डोलेन्स भी रखे हुए थे पर बाद में कुछ सुझाव आने पर उन्हें लिस्ट आफ बिजनेस से निकाल दिया गया और उसमें संशोधन किया गया और बाद में उसके लिये आप लोगों को सरक्यूलर भी जारी किया गया था कि उसे आज नहीं लिया जायेगा। इस लिये मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर अगर वो बोलना चाहें तो और किसी दिन फरमादें। और मुख्य मन्त्री जी ने जो कहना था वह कह दिया अब इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाय। और आज की सदन की कार्यवाही शुरू की जाय। इसके अलावा दूसरी बात विधान सभा की जुरिसडिक्शन के अन्दर जो पुलिस ने कार्यवाही की उसके बारे में है। इसके लिए अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसकी जांच पूरी करने के बाद ही कह सकता हूं। अभी तो आप सदन

(श्री अध्यक्ष)
के बिजनेस के लिए सहयोग दें। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : मैं, श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

मैं, राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

(1) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

(2) उदयपुर विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

(3) राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री अध्यक्ष : श्री मुख्य मन्त्रीजी।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1973) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री यातायात मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:—

(क) राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1972)

(ख) राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश संख्या 6 सन् 1972)

(ग) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1973)

(घ) मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1973)

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1972 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1972)।

(विराम)

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1973)

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित विधेयक को सदन की मेज पर रखता हूं :—

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1973)

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (2) के अन्तर्गत जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

सदस्यों के त्याग-पत्र के बारे में घोषणा

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन को सूचित करना है कि भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री बृजेन्द्रसिंह ने दिनांक 6 नवम्बर, 1972 से और आसीन्द निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री किशनसिंह चूण्डावत ने दिनांक 2 जनवरी, 1973 से राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है।

सदन की कार्यवाही दिनांक 19-2-73 के 11.00 बजे म. पू. तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही दिनांक 19-2-73 के 11.00 बजे म. पू. तक के लिये 5 बज कर 41 मिनिट पर स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

माननीय सदस्यगण,

मैं आपका विधान सभा के इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं।

2. जिन हालतों में हम आज मिल रहे हैं, वे बहुत गम्भीर हैं। राज्य में भयंकर अभाव की स्थिति है। कुल 26 जिलों में से 24 जिलों में 18,498 गांव अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं। इसका असर जिन लोगों पर पड़ा है उनकी संख्या 1 करोड़ 33 लाख है। राज्य सरकार इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए कृत-संकल्प है।

3. वर्षा की कमी के कारण राज्य सरकार ने जून 1972 में भी 33,800 श्रमिकों को राहत के कामों पर लगाया। स्थिति में सुधार न होने के कारण इन कामों को चालू रखा गया। अक्टूबर, 1972 में और भी टेस्ट रिलीफ वर्क खोलने का निश्चय किया गया। राहत के काम और उन पर लगे श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राहत-कार्यों पर अब करीब तीन लाख पेंतालीस हजार लोगों को रोजगार दिया गया है। आने वाले और कठिन महीनों में रोजगार की सीमा को जरूरत के मुताबिक और बढ़ाया जावेगा ताकि लोगों के पास जीवन-यापन के लिए साधन बना रहे। राजस्थान नहर परियोजना पर भी अभावग्रस्त क्षेत्रों के छः हजार पांच सौ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।

4. राहत कार्यों के अलावा ड्रॉट-प्रोन एरिया प्रोग्राम, क्रेश-प्रोग्राम और नेशनल हाई-वे वगैरह केन्द्रीय योजनाओं पर अभी एक लाख दस हजार लोग काम पर लगे हुए हैं।

5. राज्य सरकार ने राहत–कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा मजदूरी की दैनिक दरों को जनवरी, 1973 से दुगुना कर दिया है। अब जो मजदूरी चुकाई जायेगी, उसे काम की मात्रा से जोड़ दिया गया है। काम की मात्रा को भी हाल ही में सरकार ने बी. एस. आर. का 70 प्रतिशत कर दिया है। काम को सुचारु रूप से चलाने और मापने के लिये ज्यादा तकनीकी स्टाफ दिया जा रहा है। परिवार-परिचय-पत्र जारी किये गये हैं ताकि परिवारों को बराबर काम मिल सके। पश्चिमी सरहदी क्षेत्रों में बुनकरों और कातने वालों के लिये भी मदद दी जा रही है।

6. असहाय, अपंग, बीमार वगैरह 20 हजार व्यक्तियों को मुफ्त सहायता दी जा रही है। 1 जनवरी, 1973 से इस सहायता को भी बढ़ा दिया गया है।

7. पीने के पानी की समस्या भी बहुत कठिन है। राज्य सरकार प्रभावित गांवों में रेल या ट्रकों से पानी पहुंचाने का इन्तजाम कर रही है। जिन गांवों में पानी का तल बहुत नीचे चला गया है वहां पियाई दी जा रही है। कुओं को भी बड़ी संख्या में गहरा करने का कार्य-क्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं को भी जल्दी पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

(माननीय राज्यपाल)

8. वर्षा की कमी के कारण चारे की भी किल्लत हो गई जिससे राज्य का पशु-धन संकट में पड़ गया। इसे बचाने के लिए कई कदम उठाये गये। पशु-धन के बाहर ले जाने का इन्तजाम किया गया। अक्टूबर, 1972 में 270 निष्क्रमण डिपो स्थापित किये गये। अब तक करीब 1 लाख 80 हजार पशु अपने गांवों से विभिन्न वन-खण्डों की ओर भेजे जा चुके हैं। राज्य सरकार ने साढ़े चार लाख क्विंटल चारे की खरीद का भी इन्तजाम किया है। यह चारा सस्ता बेचा जायेगा। पशु-शिविर एवं पशु-पोषण शिविर कायम किये जा रहे हैं। इसके लिए स्वयं-सेवी संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है।

9. इतने बड़े पैमाने पर सहायता कार्य चलाने से राज्य सरकार पर आर्थिक भार बहुत बढ़ गया है। केन्द्रीय सरकार ने अब तक केवल पांच करोड़ इक्यासी लाख रुपये की सहायता एवं ऋण देना तय किया है, जो कम है। केन्द्रीय अध्ययन दल को फिर से बुलाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार इस कठिन समय में आवश्यक सहायता जरूर देगी।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय को यदि भाषण पढ़ने में कष्ट हो रहा हो तो मेरा नम्र निवेदन है कि जितना भाषण आप पढ़ सकें वह पढ़ दें, बाकी का रहने दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : May be treated as read.

माननीय राज्यपाल : जितना पढ़ सकता हूं पढ़ देता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैंने आपकी सुविधा के लिए यह सुझाव दिया। आपने इसे अन्यथा न लें।

माननीय राज्यपाल : आपने मेरी स्थिति को देखकर जो मुझ पर कृपा की उसके लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूं, मशकूर हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने रहमदिली दिखाई। जो भी हो, राज्य सरकार पूरी सहायता का इन्तजाम करने में लगी हुई है। मैं आप सबसे भी यह निवेदन करता हूं कि इस कठिन घड़ी में आप सब अपना सहयोग दें।

10. अकाल और बाढ़ के कारण अनाज की पैदावार बहुत कम हुई। इस हालत में सस्ते अनाज की 4644 दुकानें खोली गईं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को अनाज का आवंटन करती है और राज्य सरकार की बराबर यह कोशिश है कि यह आवंटन हमारी जरूरत के मुताबिक हो।

11. राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि गेहूं और चावल का थोक व्यापार वह पूरी तरह से आगामी फसलों से अपने हाथ में ले। इसकी रूप-रेखा तैयार की जा रही है।

12. सस्ते गल्ले की दुकानों पर मोटे कपड़े का वितरण भी राज्य सरकार ने

(माननीय राज्यपाल)

शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने मुनाफाखोरी के खिलाफ भी अभियान चलाया है।

13. राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि भूमि की अधिकतम सीमा अध्यादेश, 1973 जारी किया है जो सामाजिक न्याय एवं समता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। भूमिहीनों को भूमि का आवंटन करना सरकार की प्रमुख नीति रही है। अब तक 8 लाख 63 हजार 456 भूमिहीनों को 58 लाख 49 हजार 791 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। राजकीय भूमि पर ट्रेसपास के मामलों को भी सहानुभूति के साथ निपटाया जा रहा है।

14. उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्थान नहर के स्थाई प्रबन्ध के पहले चरण में दिसम्बर, 1972 तक कुल मिलाकर 15 हजार 304 व्यक्तियों को 2 लाख 86 हजार 247 एकड़ भूमि स्थाई रूप से और 27 हजार 485 भूमिहीन व्यक्तियों को 3 लाख 98 हजार 2?5 एकड़ भूमि एक वर्षीय आवंटन में अस्थाई रूप से आवंटित की गई है। इस वर्ष अस्थाई रूप से आवंटित की गई भूमि में, भारत-पाक युद्ध में शौर्य पदक प्राप्त करने वाले 35 सैनिकों को 549 एकड़ एवं युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के आश्रितों और विकलांग 487 सैनिकों को आवंटित 7,380 एकड़ भूमि भी शामिल है।

15. भूमि के अस्थाई आवंटन के दूसरे चरण में उपनिवेशन विभाग, राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के गंगानगर जिले के 3 लाख 89 हजार 301 एकड़ भूमि के स्थाई आवंटन करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस चरण में करीब 19 हजार भूमिहीन व्यक्तियों को स्थाई रूप से भूमि आवंटित किये जाने की आशा है। इस स्थाई आवंटन के लिए अनुसूचित जाति/ जन-जाति के लिए विजयनगर तहसील तक 97 हजार 761 एकड़ भूमि आरक्षित कर दी गई है। भूमि के स्थाई आवंटन के साथ 155 पुरानी आबादियों के विस्तार की योजना और वीरान क्षेत्रों में 196 नवीन आबादियों के चयन का काम भी पूरा कर लिया है।

16. वन विभाग द्वारा लकड़ी, कोयला व इमारती लकड़ी के अलावा पत्थर, बांस व तेंदू पत्ते का कार्य भी विभागीय रूप से शुरू कर दिया गया है।

17. राजस्थान में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। इस साल चित्तौड़ में ट्यूरिस्ट डाक-बंगला बनाया गया है। इसी साल सिरसका में बिजली भी पहुंचाई जाने का काम चल रहा है। अगले साल भरतपुर और जैसलमेर के ट्यूरिस्ट डाक-बंगले भी तैयार हो जायेंगे। जयपुर में ट्यूरिस्ट रिसेप्शन सेन्टर के भी अगले साल पूरे हो जाने की सम्भावना है। गेम सैन्चूरीज के विकास के लिए भी कोशिश की जा रही है। पर्यटकों की तादाद में औसतन 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

18. सन् 1972-73 में राजस्थान नहर व ब्यास के अलावा बड़ी व मध्यम सिंचाई योजनाओं पर 210 लाख रुपये

(माननीय राज्यपाल)

छोटी सिंचाई योजनाओं पर 110 लाख रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है। इस साल आखिर तक कुल 27 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। भाखरा नहर का काम पूरा हो चुका है और इससे 6 लाख 20 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है। चम्बल नहर घाटी परियोजना के पहले चरण में कोटा बैराज और बाईं व दांईं नहरों का काम पूरा किया जा चुका है। इस चरण में अब खास काम सीपेज के मसले को हल करना है। चम्बल नहर घाटी योजना के दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध पूरा बन चुका है। इस बांध तथा बिजली घर के निर्माण पर 29 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। चम्बल नदी घाटी योजना के तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध पूरा बन चुका है और वहां बिजली घर की पहली इकाई चालू की जा चुकी है, वहां बिजली घर की दूसरी इकाई भी जल्दी ही शुरू हो जायेगी। गुजरात और राजस्थान राज्यों की सम्मिलित माही योजना से राज्य में करीब 1 लाख 10 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। चालू मध्यम सिंचाई योजनाओं में जाखम, सेई, मेजा-फीडर, जैतपुरा (मानकसागर) तथा गोपालपुरा पर सुचारु रूप से कार्य चल रहा है।

19. राजस्थान नहर राज्य की सबसे अहम सिंचाई योजना है। इससे गंगानगर, बीकानेर व जैसलमेर जिलों में 31.24 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। मुख्य नहर के मंजूर पहले चरण में 88 मील का काम पूरा हो चुका है और 88 से 124 मील तक का काम काफी सन्तोषजनक रूप से हो रहा है। इस साल जनवरी तक 4 लाख 50 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो चुकी है और आशा है कि वर्ष के अन्त तक दोनों फसलों में 4.85 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस नहर के निर्माण-कार्य पर कुल 81 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। राज्य सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस नहर के प्रथम चरण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की कोशिश में है।

20. इसी तरह ब्यास परियोजना है जो दो यूनिटों में बंटी हुई है। पहली यूनिट ब्यास सतलज लिंक व दूसरी पोंग पर बांध का निर्माण। पहली यूनिट में खास कर बिजली का उत्पादन होगा और दूसरी से राजस्थान नहर को सिंचाई व बिजली के उत्पादन के लिए बारहमासी पानी मिला करेगा। दोनों यूनिटों के पूरा होने पर राजस्थान को अपने हिस्से में करीब 150 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। दोनों यूनिटों का काम तेजी से चल रहा है। 1973 में दूसरी यूनिट का काम पूरा हो जायेगा। भारत सरकार ने इन दोनों कार्यों के लिए इस साल 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है जिसमें स्वयं राजस्थान का हिस्सा कोई 12 करोड़ रुपया होगा व इससे राजस्थान नहर, गंगनगर और भाखरा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा काफी बढ़ जावेगी। पहली यूनिट का काम 1974 में पूरा होने की आशा है।

21. इस साल राज्य के पूर्वी भागों में बाढ़ का प्रकोप रहा जिससे कई बांध टूट

(माननीय राज्यपाल)

गये और दूसरी तरह से भी काफी नुकसान हुआ। टूटे हुए बांधों को फिर से बनवाने या उनकी मरम्मत कराने के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा रही है।

22. ग्रामीण बिजलीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दिसम्बर, 1972 तक 496 नये ग्रामों तथा 12 हजार 413 कुओं का भी बिजलीकरण किया जा चुका है। कुओं की इस संख्या में 3,700 वे कुए भी शामिल है जिन्हें केन्द्रीय सरकार के आपात् कृषि-उत्पादन कार्य-क्रम के अन्तर्गत बिजली उपलब्ध की गई। दिसम्बर, 1972 के अन्त तक कुल 4,664 गांवों व 60 हजार 802 कुओं का बिजलीकरण हो चुका है। अब बिजली वाले गांवों को औसत 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.47 प्रतिशत हो गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना के ग्रामों के कुओं का बिजलीकरण 1973 में पूरा कर दिया जायेगा। इस वर्ष 5 करोड़ 618 रुपयों की 10 क्लस्टर योजनायें ग्रामीण बिजलीकरण निगम द्वारा मंजूर की जा चुकी हैं तथा 6 अन्य योजनाएं उनकी मजूरी के लिए भेजी जा चुकी हैं। मंजूर योजनाओं में 575 अतिरिक्त गांवों के करीब 13 हजार कुओं को अगले 3-4 वर्षों में बिजली प्राप्त हो सकेगी।

23. पिछले साल की भांति इस साल भी विद्युत् मण्डल ने अपने बजट में 25 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान पिछड़ी जाति एवं हरिजन बस्तियों के बिजलीकरण के लिए किया है। अब तक करीब 24 लाख 64 हजार रुपये का कार्य 424 बस्तियों के लिए मंजूर किया जा चुका है। इनमें से 162 बस्तियों का बिजलीकरण दिसम्बर, 1972 तक हो चुका है।

24. इस साल में जवाहर सागर बांध की 33 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई प्रारम्भ की है जिससे प्रतिदिन 7.5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होने लगा है। इस वर्ष 220 के. वी. की लाइन कोटा से जयपुर तक चालू की गई है। इससे राजस्थान अणु-शक्ति बिजली घर से जयपुर को बिजली मिलने लगेगी। राजस्थान का बिजली का दैनिक उपयोग अधिक से अधिक इन दिनों में 60 लाख यूनिट हो गया है। राजस्थान अणु-बिजली घर के पहले चरण से शीघ्र ही बिजली प्राप्त होने लगेगी तथा इसका पूर्ण उपयोग राजस्थान में ही होगा।

25. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में राज्य सरकार ने स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इस बोर्ड में तरह तरह के तकनीकी और प्रशासनिक विशेषज्ञ होंगे। योजनाएं तैयार करने और उन्हें काम में लाने के बारे में बोर्ड राज्य सरकार को राय देगा। कृषि-क्षेत्र में खास योजना प्रकोष्ठ की तरह उद्योग, खनिज, शिक्षा, चिकित्सा, नगर आयोजनाएं, रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास आदि के लिये भी विशेष प्रकोष्ठ बनाने का विचार राज्य सरकार कर रही है। 1972–73 में योजना सम्बन्धी उल्लेखनीय घटना यह है कि राज्य सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एप्रोच पेपर तैयार किया

(माननीय राज्यपाल)

आ चुका है। इसमें शीघ्र विकास और सामाजिक न्याय में समन्वय लाने का प्रयास किया गया है। कम से कम आवश्यकताओं को पूर्ण कराने के पहलू पर भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया जायेगा। पिछड़े क्षेत्रों पर खास तौर से ध्यान दिया जायेगा। योजना में वृद्धि की दर 7 प्रतिशत हर साल प्रस्तावित की गई है।

26. राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सुझाव देने के लिये हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। समिति की पूरी रिपोर्ट की इन्तजारी में और अभाव की गम्भीर स्थिति के कारण पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थगित कर देने पड़े।

27. केयर फीडिंग कार्य-क्रम के अन्तर्गत 4 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन अगले वर्ष दिया जायेगा।

28. ग्रामीण नियोजन योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को 3 करोड़ 25 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक करोड़ रुपये के और आवंटन हेतु निवेदन किया है। माह दिसम्बर, 1972 तक वर्ष 1972 व 73-74 के लिए 2,113 कामों के लिए 428 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

29. वर्ष 1972-73 के अन्त तक 15 शहरों में जल-प्रदाय योजनाओं के काम पूरे हो जायेंगे जिनको मिलाकर राजस्थान में 145 नगरपालिकाओं में जल-प्रदाय योजनायें चालू हो जायेंगी। वर्ष 1973-74 के अन्त तक राजस्थान की सब नगरपालिकाओं में जल-प्रदाय योजनायें हो जायेंगी। 1972-73 में 136 ग्रामीण जल-प्रदाय योजनायें पूरी की जाने की सम्भावना है जिनको मिलाकर राजस्थान में कुल 517 ग्रामीण जल-प्रदाय योजनायें पूरी हो जायेंगी और इनसे 747 गांवों को लाभ मिलेगा। 1973-74 में 133 और ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं को लेने की सम्भावना है जिनसे 331 गांवों को लाभ होने की आशा है। राज्य की पेय-जल समस्या को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने ड्रॉट-प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत 29 क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनायें मंजूर की हैं जिनसे 242 गांवों को लाभ मिलेगा। इन योजनाओं में बांका पट्टी योजना पूरी हो चुकी है और पाली तथा जोधपुर जिलों में जवाई बांध से पानी सप्लाई किये जाने वाली योजनायें भी स्वीकृत हो चुकी हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए स्वीकृत योजनायें चालू हैं। इन पर 75 लाख रुपये से अधिक खर्चा आवेगा और इनके अगले वर्ष पूर्ण होने की आशा है जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा।

30. अनुसूचित जातियों एवं हरिजनों की बस्तियों में वर्ष 1972-73 में पानी के नल लगाने हेतु जन स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभागों द्वारा 51.32 लाख रुपये की स्वीकृतियां दी गई जिन पर कार्य या तो पूरा हो गया है अथवा चल रहा है।

31. वर्षा की कमी के कारण इस साल खरीफ में पैदावार कम रही। इसको

(माननीय राज्यपाल)

पूरा करने के लिए विशेष रबी कार्य-क्रम चलाया गया है, जिसके लिए भारत सरकार ने बीज, खाद आदि के लिए 4 करोड़ रुपये का ऋण दिया। राज्य में कपास व सरसों को फसल में कीड़ों की रोकथाम के लिए करीब 80 हजार एकड़ भूमि पर हैली-कोप्टरों द्वारा कीट-नाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया। राज्य की 90 में से 83 मण्डियों में सुचारु रूप से कार्य चल रहा है। इसके अलावा मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स स्कीम का काम भी 33 केन्द्रों पर चल रहा है।

32. सहकारी क्षेत्र में कताई मिल, गुलाबपुरा व चीनी मिल, केशोरायपाटन जैसे बड़े उद्योगों की विशेष उपलब्धियां हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 4 शाखायें 1972–73 में व 15 शाखायें 1973–74 में खोली जा रही हैं। भूमि-विकास बैंक की 15 शाखायें 1972–73 में व इतनी ही शाखायें 1973–74 में खोली जा रही हैं। इनसे किसानों को अधिक ऋण मिलेगा।

33. विशेष योजना प्रकोष्ठ द्वारा राजस्थान नहर के कमाण्ड-क्षेत्र को विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की जो योजना बनाई गई थी उस पर विश्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है। इसी तरह चम्बल क्षेत्र के विकास योजना पर भी विश्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है। सम्भावना है कि इन योजनाओं की स्वीकृति अगले वर्ष तक मिल जायेगी। विश्व बैंक के पास भेड़ विकास योजना, जिले की ड्राट प्रूफिंग योजना, मार्केटिंग यार्ड योजना जिनमें कुल मिलाकर 46 करोड़ रुपये का खर्चा होगा, विचार के लिए पड़ी हुई हैं। 17 लघु सिंचाई योजनायें, 3 दुग्ध योजनायें व 8 अन्य योजनायें विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। इन पर कुल 28 करोड़ रुपये ऋण के रूप में मिलेंगे। 35 करोड़ रुपये की और योजनायें विभिन्न संस्थाओं के पास विचाराधीन हैं। जोधपुर में डेरी का कार्य शुरू हो गया है। अजमेर व कोटा की डेरी योजनायें भी स्वीकृत हो चुकी हैं। अलवर, भरतपुर भीलवाड़ा आदि की डेरी योजनाओं पर भी वार्ता चल रही है। ऐसी ही योजनाओं से व विशेष रूप से दुग्ध योजनाओं से ग्रामीण जनता का आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा एवं उनको अकाल से मुकाबला करने की क्षमता भी बढ़ेगी।

34. औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं एवं सहायताओं के फलस्वरूप औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला है। लघु उद्योगों के क्षेत्र में जहां वर्ष 1971 में स्थायी रूप से पंजीकृत इकाइयों की संख्या 1162 थी वहां वर्ष 1972 में केवल 6 महीने की अवधि में अर्थात् जून, 1972 तक 1046 उद्योगों का स्थायी रूप से पंजीकरण किया गया। बड़े उद्योगों के क्षेत्र में 1972 में राज्य सरकार द्वारा 85 आवेदन-पत्रों पर सिफारिश कर केन्द्रीय सरकार को भेजे गये जिनमें 38 को आशय-पत्र अथवा लाइसेन्स प्राप्त हुए। राजस्थान वित्त निगम ने लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 1971–72 में वित्त निगम द्वारा 232 इकाइयों को 281.75 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। वर्ष

(माननीय राज्यपाल)

1972-73 के माह दिसम्बर तक 171 इकाइयों को 280 लाख रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत किये जा चुके हैं। निगम द्वारा उदार ऋण योजना पिछले वर्ष लागू की गई थी जिसके अन्तर्गत एक विशेष उपलब्धि यह है कि 60 इन्जीनियरों को 75 लाख रुपये उद्योग कायम करने के लिये 1972 में स्वीकृत किये गये हैं। निगम ने अलवर, जोधपुर तथा उदयपुर में अपनी स्थानीय शाखाएं खोलदी हैं। इसके अलावा विभाग में एक तकनीकी प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है।

35. शिक्षित बेरोजगारों को औद्योगिक सहायता देने के लिए केन्द्रीय योजना का राज्य में काम में लाया जाना सन्तोषप्रद रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 1971-72 में केन्द्रीय सरकार से 47 लाख रुपये का ऋण और अनुदान प्राप्त हुआ है। इस राशि की सहायता से 60 फैक्ट्री शेड्स, 40 दुकानें एवं निवासों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 28 औद्योगिक इकाइयों को इक्विटी पार्टीसिपेशन नामक योजना का लाभ मिला। वर्ष 1972-73 में बेरोजगारों को उद्योग लगाने में सहायता के लिए 35 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो चुके हैं और इतनी ही रकम सम्भवतः इस वर्ष और मिलने की आशा है।

36. सन् 1972 में राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को चार और आशय-पत्र प्राप्त हुए और इस प्रकार निगम के पास अब उपलब्ध आशय-पत्रों की संख्या 10 हो गई है। इनमें से स्कूटर प्रोजेक्ट को अलवर में लगाया जा रहा है। उसकी स्थापना में काफी प्रगति हो गई है। अन्य आशय-पत्रों पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं।

37. राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट टेनरीज को टोंक में स्थापित करने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस उद्योग के लिए लाइसेन्स प्राप्त कर लिया गया है एवं फ्रान्स की एक फर्म से अगस्त, 1973 तक मशीनें प्राप्त करने का अनुबन्ध कर दिया गया है। हाई-प्रीसिजन ग्लास लि., धौलपुर एव ऊनी मिल्स, बीकानेर के कार्य में सुधार हुआ है। स्टेट केमीकल वर्क्स, डीडवाना और पचपदरा में विभागीय तरीके से नमक बनाने का कार्य शुरू किया गया है।

38. रॉक फॉस्फेट, ताम्बा, सीसा, जस्ता, सिलिका सैंड एवं कई महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए खनिज विभाग द्वारा अभी 27 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सन् 1973-74 में और ऐसी परियोजनाएं लेने का प्रस्ताव है। पिछले कुछ वर्षों से झामरकोटड़ा में राक फास्फेट भण्डार की खोज विभाग की मुख्य उपलब्धि है। इस भण्डार से अभी औसत उत्पादन करीब 700 टन प्रतिदिन है। 15 दिसम्बर, 1972 से झामरकोटड़ा में विभागीय स्तर पर भी खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है। अन्य कई खनिजों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। पिछले साल से इस वर्ष खनिज उत्पादन में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है। विभाग की खान सुधार योजना, खानों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य-क्रम एवं खनन् पट्टाधारियों को ऋण देने की योजना सुचारु रूप से चल रही है।

(माननीय राज्यपाल)

39. सन् 1972—73 के दौरान प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम को मजबूत बनाया गया। इस वर्ष एक हजार नई प्राथमिक शालाएं खोली गईं एवं एक हजार प्राथमिक शालाओं को मिडिल पाठशालाओं में बदला गया जिससे मिडिल पाठशालाओं में लगभग 50 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। नीति यह है कि मिडिल पाठशालाओं की तादाद में इतनी वृद्धि करदी जावे कि 5 प्राथमिक शालाओं पर एक मिडिल स्कूल बन जावे। नई पाठशालाओं के स्थान निश्चित करने का कार्य जिला स्तर पर प्रतिनिधि, स्थानीय समितियों को सौंपा गया था।

40. 1972—73 में कुल 6 हजार अध्यापक भर्ती किये गये। रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध कराने के लिए 8 विशेष बी. एस. टी. सी. विद्यालय खोले गये। इसी साल प्रयोगात्मक आधार पर कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशाला भवनों पाठशाला उपकरणों तथा निःशुल्क पुस्तकें एवं यूनिफार्म देने के लिए एक करोड़ से भी अधिक राशि स्वीकृत की गई। निःशुल्क पुस्तकें व यूनिफार्म इस मंशा से दी गई कि उनसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में निर्धन छात्रों की भर्ती को प्रोत्साहन मिले। आयु वर्ग 6 से 11, 11 से 14 एवं 14 से 17 वर्ष के स्कूल जाने वाले छात्रों का औसत 60.00, 28.6 एवं 13.00 हो जाने का अनुमान है। अगले वर्ष इस प्रतिशत को और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

41. 1972-73 में प्रारम्भिक चिकित्सा के लिए 2 ऐड पोस्ट जोधपुर में, 114 शय्याओं का क्षय रोग अस्पताल जयपुर में, 113 शय्याओं का कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल कायम किये गये। नकली दवाओं पर रोक के लिये एक औषधि—नियन्त्रण संगठन का निर्माण किया जा चुका है। प्रशिक्षित डाक्टरों को रोजगार देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्यों से अधिक ऋण एवं परितोष देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 1973 तक ग्रेज्यूएट्स को 1 लाख 27 हजार 500 रुपये आवंटित किये जा चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्य रूप से 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर 30 शय्याओं के अस्पताल स्थापित किये जायेंगे और कुछ ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों के साथ लघु प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। परिवार नियोजन कार्यक्रम में भी प्रगति हुई है। 1972 73 में 5 जिलों में सघन कार्यक्रम चलाया गया है, जिनमें सफलता मिली। अगले वर्ष कुछ और चुने हुए जिलों में सघन कार्य-क्रम चलाया जावेगा।

42. समाज कल्याण की कई योजनाएं राज्य में चल रही हैं जिनमें से कुछ का मैं जिक्र करूंगा। करीब 3 लाख बच्चों एवं गर्भवती माताओं को 2,200 केन्द्रों के जरिये मुफ्त पोषाहार दिया जा रहा है। 1973-74 में इस संख्या को चार लाख तक कर देने का अनुमान है। पिछड़ी जातियों के लिए 308 अनुदानित एवं अन्य छात्रावास चलाये जा रहे हैं जिनसे 11 हजार से अधिक बालक-बालिकाएं लाभ उठा रहे हैं। केवल

(माननीय राज्यपाल)

छात्रवृत्ति पर ही लगभग 36 लाख रुपये चालू वित्तीय वर्ष में खर्च किये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 600 बेरोजगार स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों को 150) रुपये एवं 250) रु. क्रमशः मासिक वृत्ति दी जा रही है। विभिन्न सेवाओं जैसे आर. ए.एस., आई. ए. एस. की परीक्षाओं में बैठने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बेरोजगार व्यक्तियों के नियोजन हेतु राज्य में रोस्टर प्रणाली चालू है। इन व्यक्तियों के लिए वर्तमान में राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिए 28 प्रतिशत का आरक्षण है। स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जरिए इन जातियों के लोगों को भवन निर्माण के लिए बिना सूद का ऋण दिया जा रहा है। हरिजन बस्तियों में नल व रोशनी लगाने का कार्यक्रम भी चालू है। शिक्षा-वृत्ति हटाने की योजना अजमेर और जयपुर में लागू की गई है।

43. जयपुर शहर के मास्टर-प्लान का प्रारूप प्रकाशित किया जा चुका है। कोटा और अजमेर नगरों के मास्टरप्लान के प्रारूप शीघ्र ही प्रकाशित किये जा रहे हैं। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं अलवर के प्लान की अगले वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है। गृह निर्माण के लिए उपयुक्त संस्थापन आधार तैयार किया जा चुका है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एवं एपेक्स हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना से गृह-निर्माण का एक बड़ा कार्य-क्रम हाथ में लिया जा सका है। हाउसिंग बोर्ड करीब 9 करोड़ रुपये का इन्तजाम कर सका है। करीब 7,300 व्यक्तियों ने बोर्ड द्वारा जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, और जोधपुर में बनाये जा रहे मकानों की खरीद के लिए अपने को रजिस्टर करवाया है। चालू वर्ष में दो हजार मकानों पर कार्य चल रहा है। अगले साल बोर्ड करीब तीन हजार मकान बनाने की कोशिश करेगा। हाउसिंग बोर्ड ने गन्दी बस्तियों में मकान बनाने के लिये स्थापित सहकारी संस्थाओं के लिए मकान बनाने का कार्य शुरू किया है। जीवन-बीमा निगम ने अपनी 'ओन योर हाउस' योजना को हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों पर भी लागू कर दिया है। कच्ची बस्तियों की समस्या को भी सरकार सुलझाने का प्रयास कर रही है। चालू वर्ष में विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की कच्ची बस्तियों के सुधार के कार्यक्रम भी लिये गये हैं। कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की योजना में अब जयपुर शहर को भी ले लिया गया है और केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1973-74 के लिए 50 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है।

44. इस वर्ष न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने सभी अनुसूचित उद्योगों में न्यूनतम वेतन अकुशल श्रमिकों के लिए 100) रुपये, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को 125) रुपये तथा कुशल श्रमिकों को 150) रुपये मासिक करने का प्रस्ताव किया है। कुछ नये उद्योग जैसे आटोमोबाइल वर्कशाप्स, होटल व रेस्तरां, दुकान, पावर-लूम फैक्ट्री आदि को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया है। इन्जीनियरिंग उद्योग में जहां

(22)

(माननीय राज्यपाल)

50 से कम श्रमिक हैं उनके लिए भी न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है। पेमेन्ट ग्रॉफ ग्रेच्युइटी एक्ट, 1972 को 15 सितम्बर, 1972 से लागू कर दिया है।

45. राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति काबू में रही। विभिन्न ग्रान्दोलनों, हड़तालों इत्यादि का सामना पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा कुशलता, संयम एवं दृढ़ता से किया गया। पिछले वर्ष के मुकाबले में ग्रपराधों में इस वर्ष अवश्य वृद्धि हुई है पर इस वर्ष अधिक बरामदगी एवं चालान किये गये। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए गत वर्ष भारत सरकार से 52 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिसका उपयोग वायरलैस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस अनुसंधान प्रयोगशाला तथा पुलिस परिवहन के विकास के लिए किया जा रहा है। पुलिस ट्रेनिंग और पुनर्गठन पर भी सरकार विशेष बल दे रही है।

46. राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव (ट्रिब्यूनल) के गठन का विचार रखती है ताकि सेवा के मामलों का फैसला जल्दी एवं स्थायी रूप से हो सके। इससे अदालतों में चल रहे सेवा सम्बन्धी मामलों की संख्या में कमी होने की आशा है। जन-अभियोग निराकरण विभाग ने भी प्राप्त करीब 8000 शिकायतों में से करीब 6000 शिकायतों का फैसला करवाया। कर्मचारी-कल्याण विभाग द्वारा लगभग 14 हजार कर्मचारियों का इस वर्ष में कनफरमेशन करवाया गया। इसके अतिरिक्त फिक्सेशन, पेंशन आदि के मामलों को भी जल्दी निपटाया जा रहा है।

47. राज्य सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये भी कृत-संकल्प है, सरकार ने लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्ति का अध्यादेश जारी किया है, इसके अधिकार क्षेत्र में मंत्रीगण, जिला प्रमुख, प्रधान, सरकारी कर्मचारी आदि सभी आते हैं। 60 भ्रष्ट एवं अयोग्य राजपत्रित अधिकारीगण अनिवार्य सेवा से निवृत्त किये गये। भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियोगों के शीघ्र निर्णय हेतु जयपुर में एक विशेष अदालत नियुक्त की जा रही है। जिला जन-अभियोग निराकरण समितियों का भी गठन किया जा रहा है।

48. राज्य सरकार ने चतुर्थ-पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 25 प्रतिशत यात्री एवं परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये राष्ट्रीयकरण की योजनायें जारी की गई हैं जिससे लगभग सभी बड़े नगर राष्ट्रीयकृत मार्गों से जुड़ जायेंगे। बड़े बड़े नगरों के बीच सीधी व तेज रफ्तार की सेवाएं चालू की जा रही हैं। राष्ट्रीयकरण को सुगम बनाने हेतु हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया गया है। पथ परिवहन निगम ने जयपुर नगर की वाहन सेवा को अपने हाथ में ले लिया है। निगम के पास वाहनों की संख्या अगले वर्ष लगभग दुगनी हो जावेगी।

49. इस सत्र का मुख्य कार्य जिसके लिये आपको यहां आमन्त्रित किया गया है वह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पर विचार करना एवं उसे पारित करना तथा तत्सम्बन्धी कानून बनाना है। मुझे ऐसा

(माननीय राज्यपाल)

विश्वास है कि बजट पर विचार-विमर्श करते समय आप राज्य के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखेंगे जिसके लिए हम सभी कृत-संकल्प हैं। राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1972, राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एव विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1972, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अध्यादेश, 1973, राजस्थान पंचायत विधियां अध्यादेश, 1973, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश, 1973 भी आपके समक्ष विचार-विमर्श एवं उचित कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेगी।

50. मोटे तौर पर पिछले वर्ष की उल्लेखनीय घटनाओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों का मैंने जिक्र किया। अब हमें आने वाले वर्ष के कार्य-कलापों पर विचार करना है और राजस्थान की चहुँमुखी विकास की दिशा में कार्य करना है। जन-हित में आप सबका सदैव की भांति पूर्ण सहयोग प्राप्त हो तथा आपके विचार-विमर्श में सफलता मिले, यही मेरी कामना है।

—:जयहिन्द:—

---

(24)

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 1973)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	ऊपर से 12	कर कर	कह कर
3	नीचे से 1	विषय	विषय
5	ऊपर से 9	ग्रोर	ग्रोर
6	„ 9	ग्रो से	ग्रोर से
8	„ 7	अ यक्ष	अध्यक्ष
8	„ 11	समम	समय
10	„ 1	विधान सत्र	विधान सभा सत्र
10	नीचे से 7	शिक्षा के	शिक्षा मंत्री के
18	ऊपर से 14	परम्पराय	परम्परायें
18	नीचे से 14	सरक्यूॅलर	सरक्यूलर
21	ऊपर से 2	अन्तर्गत जारी	अन्तर्गत अध्यादेश
29	„ 15	बिशेष	विशेष
30	नीचे से 18	सिलीका सैट	सिलीका सैन्ड
31	ऊपर से 12	निश्चित	निश्चित
32	„ 19	शिक्षा-वृत्ति	भिक्षा-वृत्ति